दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

हरियाणा में नए राशन डिपो के लिए 08 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

सवेरा ब्यूरो चंडीगढ़ : हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आज से शुरू होकर 08 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने है। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वी पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तय की गई समयावधि, जो 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जाएगी। जिसके लिए सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश पूर्व में जारी किए हुए है। आवेदनकर्ता नए राशन डिपो के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाए गए रिक्त स्थान के लिए आवेदन 08 अगस्त शाम 05 बजे तक भर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

Thu, 25 July 2024
epaper.dainiksaveratimes.in/c/7550